

अन्य 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' (एफएक्यू)

1. जिन मामलों में प्रमाणपत्र के धारक की मृत्यु हो चुकी हो, क्या उन मामलों में नामिति (नॉमिनी) या कानूनी वारिस धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन कर सकता है? पीएसीएल के मामले के संबंध में धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन करने के लिए नामिति (नॉमिनी) को कौन-कौन से दस्तावेज देने होंगे?

मौजूदा प्रक्रिया के अंतर्गत नामिति (नॉमिनी) या कानूनी वारिस को दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत नहीं करने हैं। तदनुसार, मौजूदा प्रक्रिया के अंतर्गत केवल प्रमाणपत्र का धारक ही अपने लिए आवेदन कर सकता है। यदि समिति द्वारा नामितियों (नॉमिनीज़) या कानूनी वारिसों की ओर से दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कोई निर्णय लिया जाता है, तो उसकी सूचना बाद में दे दी जाएगी।

2. यदि पीएसीएल के प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) पर नाम वैसा न लिखा हुआ हो जैसा कि पैन कार्ड पर लिखा हुआ हो, तो ऐसे में क्या करना होगा?

यदि पीएसीएल के प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) पर आपका नाम वैसा न लिखा हुआ हो जैसा कि आपके पैन कार्ड पर लिखा हुआ हो, तब भी आप दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जिस कॉलम में पैन कार्ड के अनुसार नाम डालना है, आप उस कॉलम में अपना नाम ठीक वैसा ही डालें जैसा आपके पैन कार्ड पर लिखा हुआ हो, जिस कॉलम में पीएसीएल के प्रमाणपत्र के अनुसार नाम डालना है, आप उस कॉलम में अपना नाम ठीक वैसा ही डालें जैसा पीएसीएल के प्रमाणपत्र पर लिखा हुआ हो और साथ ही दिए गए कॉलमों में समर्थक दस्तावेज भी अपलोड करें।

3. यदि निवेश उस नाबालिग के नाम पर किया गया हो जिसके पास पैन कार्ड न हो, तो ऐसे में क्या करना होगा?

दावे संबंधी आवेदन के साथ वही दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करने होंगे जो निर्धारित किए गए हों, ताकि वह आवेदन स्वीकार्य हो सके। इसलिए, आपको नाबालिग के नाम से पैन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करना होगा। आयकर विभाग ने पैन कार्ड बनवाने के लिए कोई आयु-सीमा निर्धारित नहीं की हुई है, जिसका अर्थ यही है कि नाबालिग भी पैन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

4. पैसा कब लौटाया जाएगा? क्या पैसा ब्याज के साथ लौटाया जाएगा?

समिति द्वारा पैसा लौटाने [धन-वापसी (रिफंड) करने] का निर्णय तो आवेदन करने वाले निवेशक (निवेशकों) द्वारा किए गए दावों का सत्यापन करने के बाद ही लिया जाएगा। समिति निवेश की गई रकम लौटाने से पहले इस बात पर गौर करेगी कि समिति के पास कितना कॉर्पस है, और साथ ही धन-वापसी (रिफंड) किस आधार पर की जाएगी इसका निर्णय समिति द्वारा लिया जाएगा। इस चरण में ब्याज के भुगतान पर विचार नहीं किया जा रहा है।

अन्य 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' (एफएक्यू)

5. दावे संबंधी आवेदन फॉर्म में डाली जाने वाली दावे की रकम की गणना कैसे करें? क्या निवेशक परिपक्वता (मैच्यूरिटी) पर मिलने वाली रकम को दावे की रकम के रूप में डाल सकता है?

किसी एक पीएसीएल रजिस्ट्रेशन नंबर के संबंध में किए गए भुगतान की सभी बकाया रसीदों पर जितनी रकम लिखी हुई हो उन्हें जोड़ने पर निकलने वाली कुल रकम ही दावे की रकम है। निवेशक द्वारा दावे संबंधी आवेदन फॉर्म में इस प्रकार डाली जाने वाली दावे की रकम के समर्थन में पीएसीएल द्वारा उक्त पीएसीएल रजिस्ट्रेशन नंबर के संबंध में जारी किए गए प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति के साथ-साथ भुगतान की बकाया रसीद (रसीदों) की स्कैन की हुई प्रति (प्रतियाँ) अपलोड करनी होगी (होंगी)। और अधिक स्पष्टता के लिए, कृपया धन-वापसी (रिफंड) के संबंध में तैयार किया हुआ वीडियो देखें। इसके अलावा, जिन मूल दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियाँ अपलोड की जाएँ, वे मूल दस्तावेज निवेशक अपने पास रखें। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि परिपक्वता (मैच्यूरिटी) पर मिलने वाली रकम दावे की रकम नहीं है।

6. यदि किसी निवेशक के पास कोई रसीद न हो या उसके पास केवल कुछ ही रसीदें हों या केवल अंतिम वाली रसीद ही हो और / या उसके पास बॉण्ड प्रमाणपत्र न हो, तो भी क्या वह धन-वापसी (रिफंड) हेतु दावा प्रस्तुत कर सकता है? ऐसे मामले में दावे की रकम कितनी मानी जाएगी ?

फिलहाल समिति खोए हुए बॉण्ड प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) और / या रसीद (रसीदों) के संबंध में भुगतान करने पर विचार नहीं कर रही है।

7. यदि मूल दस्तावेज (बॉण्ड प्रमाणपत्र और / या रसीदें) पीएसीएल को सौंप दिए हों और निवेशक के पास केवल पीएसीएल द्वारा जारी किया गया अक्नॉलिज़मेंट ही हो, तो क्या वह ऐसे में धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन कर सकता / सकती है? क्या धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन करते समय पीएसीएल के प्रमाणपत्र के बजाय ऐसे अक्नॉलिज़मेंट की पर्ची अपलोड की जा सकती है। यदि निवेशक ने पीएसीएल के पास समस्त दस्तावेज जमा करके पीएसीएल लि. से कर्ज लिया हो, तो ऐसी स्थिति में वह धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन कैसे करे?

दावे संबंधी आवेदन प्राप्त करने की मौजूदा प्रक्रिया में, यह जरूरी है कि दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने वाले निवेशक के पास मूल बॉण्ड प्रमाणपत्र और किए गए भुगतान की मूल बकाया रसीद (रसीदें) हों, और साथ ही वह बॉण्ड प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति के साथ-साथ बकाया रसीद (रसीदों) की स्कैन की हुई प्रतियाँ भी अपलोड करे। तदनुसार, दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने के लिए, यह जरूरी है कि निवेशक उपरोक्त दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियाँ अपलोड करे और संबंधित मूल दस्तावेज अपने पास रखे। और अधिक स्पष्टता के लिए, कृपया धन-वापसी (रिफंड) के संबंध में तैयार किया हुआ वीडियो देखें। फिलहाल समिति पीएसीएल द्वारा जारी किए गए किसी अक्नॉलिज़मेंट के आधार पर भुगतान करने पर विचार नहीं कर रही है।

8. अधिक से अधिक कितनी रसीदें अपलोड की जा सकती हैं?

अन्य 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' (एफएक्यू)

इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तदनुसार, आप उन सभी रसीदों को अपलोड कर सकते हैं जो किसी एक पीएसीएल रजिस्ट्रेशन नंबर के संबंध में बकाया हों, फिर चाहे उनकी संख्या कितनी भी हों।

9. क्या पीएसीएल के मामले से संबंधित धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन कागज़ी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है?

चूँकि यह प्रक्रिया काफी व्यापक है, इसलिए दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने की मौजूदा प्रक्रिया को डिजिटल ही रखा गया है। तदनुसार, मौजूदा प्रक्रिया के तहत कोई भी आवेदन कागज़ी रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

10. जो निवेशक पहली प्रक्रिया [जिसके तहत रु.2500 तक के बकाया मूलधन के संबंध में धन-वापसी की गई थी (रिफंड किया गया था)] के दौरान दस्तावेज अपलोड नहीं कर पाए थे और अपने दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाए थे, क्या वे निवेशक भी मौजूदा प्रक्रिया के तहत फिर से आवेदन कर सकते हैं?

जी हाँ। यदि आप पिछली प्रक्रिया के दौरान अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाए थे, तो आप मौजूदा प्रक्रिया के तहत अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, बशर्ते कि आप बॉण्ड प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति के साथ-साथ बकाया रसीद (रसीदों) की स्कैन की हुई प्रतियाँ भी अपलोड करें और आपके पास मूल बॉण्ड प्रमाणपत्र तथा किए गए भुगतान की बकाया मूल रसीद (रसीदें) हों।

11. क्या किसी पड़ोसी देश का कोई निवेशक पैन कार्ड के बदले दूसरे देश के पहचान एवं पते के सबूत प्रस्तुत करके धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन कर सकता है? साथ ही, क्या कोई निवेशक पैन कार्ड के बदले आधार कार्ड प्रस्तुत कर सकता है?

जी नहीं। दावे संबंधी आवेदन के साथ वही दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करने होंगे, जो निर्धारित किए गए हों, ताकि वह आवेदन स्वीकार्य हो सके। तदनुसार, जो भी दस्तावेजी सबूत निर्धारित किए गए हैं, उनके अलावा किसी भी अन्य दस्तावेजी सबूतों पर विचार नहीं किया जाएगा।

12. क्या कोई निवेशक रद्द किए हुए चेक / बैंकर के प्रमाणपत्र के बदले बैंक की पास बुक के पहले पृष्ठ की स्कैन की हुई प्रति अपलोड कर सकता है?

यदि निवेशकों के पास चेक बुक न हो, तो वे निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार बैंकर से प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं। विकल्प के तौर पर, निवेशक बैंक की पास बुक का पहला पृष्ठ (फ्रंट पेज) और वह पृष्ठ अपलोड कर सकता है जिस पर निवेशक का नाम, बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड लिखा हुआ हो।

13. यदि यह एरर मेसेज आए कि "हमारे रिकॉर्ड के अनुसार पीएसीएल का यह नंबर मौजूद नहीं है।", तो ऐसे में क्या करें?

अन्य 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' (एफएक्यू)

यदि आपके पास पीएसीएल द्वारा जारी किए गए मूल बॉण्ड प्रमाणपत्र और मूल बकाया रसीद (रसीदें) हैं और यदि दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत करते समय आपको उपरोक्त संदेश (मैसेज) प्राप्त होता है, तो आप पीएसीएल के रजिस्ट्रेशन नंबर संबंधी ब्यौरों के साथ-साथ उपरोक्त दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियाँ इस ई-मेल आईडी पर भेज सकते हैं: nodalofficerpacl@sebi.gov.in ।

14. क्या धन-वापसी (रिफंड) हेतु आवेदन संबंधी वेबसाइट <http://www.sebipaclrefund.co.in> भारत के बाहर भी खुलता है?

जी हाँ । रिफंड पोर्टल अब भारत के बाहर भी (पाकिस्तान, चीन और रूस को छोड़कर) खुल सकता है ।

15. एक बार जब अकनॉलिज़मेंट नंबर उत्पन्न हो जाए, तो उसके बाद पोर्टल में जानकारी में कोई बदलाव आदि करने के लिए क्या करें?

अकनॉलिज़मेंट नंबर तभी उत्पन्न होता है, जब आप दावे संबंधी आवेदन अंतिम रूप से प्रस्तुत कर देते हैं । तदनुसार, अकनॉलिज़मेंट नंबर उत्पन्न होने के बाद आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते ।

16. इस वेबसाइट के लिए किस वेब-ब्राउज़र का उपयोग किया जाना चाहिए?

यह वेबसाइट गूगल क्रोम ब्राउज़र के नवीनतम संस्करण (वर्जन) में सबसे बढ़िया तरीके से चलता है ।

17. मैं अपने दावे के संबंध में रजिस्ट्रेशन कैसे करूँ?

रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको अपना पीएसीएल का रजिस्ट्रेशन नंबर दो बार डालना होगा और साथ ही मोबाइल नंबर तथा कैप्चा भी डालना होगा । ये विवरण डालने के बाद, रजिस्ट्रेशन के दौरान दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा । ओटीपी सफलतापूर्वक डालने के बाद, यदि आपके द्वारा डाले गए विवरण सही होंगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा । सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाने के बाद, आप अपने दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं ।

18. मैं अपने दावे संबंधी आवेदन के लिए लॉग-इन कैसे करूँ ?

सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाने के बाद, पासवर्ड बनाने के लिए आपके कंप्यूटर पर एक स्क्रीन खुलेगी । आप अपनी पसंद का पासवर्ड बना सकते हैं । पासवर्ड 8 से 16 अक्षरों तक का ही होना चाहिए, जिसमें कम से कम एक बड़ा अक्षर (A-Z), एक अंक (0-9) और एक विशेष चिह्न अवश्य शामिल हो । सफलतापूर्वक पासवर्ड बना लेने के पश्चात्, बाद में आप जब-जब लॉग-इन करेंगे, तब-तब आपको पीएसीएल का रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा ।

अन्य 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' (एफएक्यू)

19. दावे संबंधी आवेदन फॉर्म में मुझे कौन-कौन सी जानकारी प्रस्तुत करनी होगी?

आपको अपना नाम ठीक वैसा ही डालना होगा जैसा पीएसीएल के प्रमाणपत्र पर लिखा हुआ हो, दावे की रकम (रु. में) का उल्लेख करना होगा, अपना नाम ठीक वैसा ही डालना होगा जैसा पैन कार्ड पर लिखा हुआ हो, पैन नंबर डालना होगा, अपनी बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम और आईएफएससी कोड भी डालना होगा ।

20. मुझे कौन-कौन से दस्तावेज अपलोड करने होंगे?

आपको ये दस्तावेज अपलोड करने होंगे - अपने पैन कार्ड की कॉपी, हाल ही में खिंचवाई गई पासपोर्ट आकार की फोटो, रद्द किए हुए चैक (जिस पर आपका नाम छपा हुआ हो) की कॉपी या sebipaclrefund.co.in पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार बैंक के पत्रशीर्ष (लेटर हेड) पर बैंकर का प्रमाणपत्र, पीएसीएल के प्रमाणपत्र की कॉपी, और रसीदें (यदि कोई हों) ।

21. यदि मैंने अपना दावा संबंधी आवेदन फॉर्म पूरी तरह से न भरा हो, क्या तब भी मैं वहाँ से बाहर निकल (एग्जिट कर) सकता हूँ?

जी हाँ, आप लॉग-आउट के बटन पर क्लिक करके बाहर निकल सकते हैं । 'Save and Next' के विकल्प पर क्लिक करते ही आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी save हो जाएगी। आप बाद में लॉग-इन करके अपने दावे संबंधी आवेदन को पूरी तरह से भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं ।

22. दस्तावेज किस फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे?

दस्तावेजों को पीडीएफ (pdf), जेपीजी (jpg) या जेपीईजी (jpeg) फॉर्मेट में अपलोड किया जा सकता है।

23. अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों का आकार/प्रकार/खाका आदि (specifications) कैसा होना चाहिए?

अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज Black & White, dpi 200 और vertically aligned होने चाहिए, दस्तावेज का आकार 300KB तक सीमित होना चाहिए।

24. मुझे यह कैसे पता चलेगा कि मेरा आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत हो गया है?

सभी जरूरी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद, आप 'Final Submit' के बटन पर क्लिक कर सकते हैं । उसके बाद वेब प्लेटफॉर्म पर preview screen खुल जाएगी, जिसमें आपको आपके द्वारा डाली गई जानकारी की पुष्टि करनी होगी । जब आप डाली गई जानकारी की पुष्टि कर देंगे, तब उसके बाद आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत हो जाएगा और फिर एक अकनॉलिज़मेंट रिसीट नंबर (एआरएन) उत्पन्न होगा । भविष्य में इस संबंध में आप जब कभी भी संपर्क करें, तब-तब आप पीएसीएल के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ-साथ यह नंबर भी अवश्य बताएँ ।

अन्य 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' (एफएक्यू)

25. मैंने जो जानकारी save कर ली है, क्या मैं वह जानकारी वहाँ से हटा सकता हूँ या उसमें कोई बदलाव आदि कर सकता हूँ?

जब तक आप 'Final Submit' के बटन पर क्लिक करके अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं कर देते, तब तक आप डाली गई जानकारी में कभी भी किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकते हैं। हालाँकि, एक बार जब आप 'Final Submit' के बटन पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद कोई भी बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी।

26. यदि मैं अपना पासवर्ड भूल जाऊँ, तो मुझे क्या करना होगा?

आप इस वेबसाइट पर दिए हुए 'Forgot Password' के विकल्प पर क्लिक करें। पीएसीएल का रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और ओटीपी उत्पन्न करने के विकल्प (Generate OTP) पर क्लिक करें। फिर वह ओटीपी डालें जो आपके मोबाइल पर आया हो और फिर submit OTP के बटन पर क्लिक करें। एक बार जब आप सही ओटीपी डाल देंगे, तब आपके सामने 'Enter password' की स्क्रीन खुल जाएगी जहाँ आप नया पासवर्ड बना सकते हैं।

27. यदि मेरे पास पैन कार्ड न हो, तो मैं क्या करूँ?

आपको पहले पैन कार्ड बनवाना होगा। उसके बाद ही आप आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे।

28. मैं पैन कार्ड कैसे बनवाऊँ?

पैन कार्ड कैसे बनवाना है, इससे संबंधित जानकारी के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें:

<https://www.incometaxindia.gov.in/Pages/tax-services/apply-for-pan.aspx>

29. यदि मेरे पास ऐसा कोई बैंक खाता न हो जिसमें मैं प्रथम खाताधारक हूँ, तो ऐसे में मैं क्या करूँ?

आप उस बैंक खाते के विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें आप संयुक्त खाताधारक (ज्वाइंट अकाउंट होल्डर) हों। आपको दावे संबंधी आवेदन के साथ-साथ रद्द किए हुए बैंक (जिस पर आपका नाम छपा हुआ हो) की कॉपी या sebipacrefund.co.in पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार बैंक के पत्रशीर्ष (लेटर हेड) पर बैंकर का प्रमाणपत्र भी अपलोड करना होगा।

30. यदि पीएसीएल के प्रमाणपत्र के धारक की मृत्यु हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या कोई नामिति (नामिनी) ऐसे मृतक निवेशक की ओर से दावा प्रस्तुत कर सकता है?

अन्य 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' (एफएक्यू)

ऐसे मामले में, दावा संबंधी आवेदन उस नामिति (नॉमिनी) द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है जिसका नाम पीएसीएल के प्रमाणपत्र पर लिखा हुआ हो। हालाँकि, नामितियों (नॉमिनीज़) द्वारा दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख बाद में सूचित कर दी जाएगी।

31. यदि मेरा नाम विवाह के बाद बदल गया हो, तो ऐसे में मैं क्या करूँ?

नए नाम से दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने [समर्थक दस्तावेजों (सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स) के साथ] की तारीख बाद में सूचित कर दी जाएगी।